

11/03/24

1041

पगावली पेश दुइ) वकील वाडी ने उपरोक्त
 प्राप्त बाबत इफ्तय प्राप्त होकर
 बाबत पेश कर विवेक विधा से न्यायालय
 के निर्णय व डिक्री दिनांक 17/04/23 की
 पालना में नामान्तरण कएय 1966 दिनांक
 12/10/23 को दर्ज करवाया गया जो युक्त
 है अतः प्रकरण को सौंप करमाते का
 आदेश करमाते पगावली व उच्च न्यायालय
 का मन्तव्य/अध्ययन कर न्यायालय यह बात
 कि डिक्री व निर्णय की पालना पूर्ण
 हो जाने पर प्रकरण में कोई कार्यवाही
 शेष नहीं रहती है अतः प्रकरण को प्राप्ति
 पालना पूर्ण होने पर खारिज करमाया जाता है
 पगावली कुशल शुभाह होकर दर्जर नम्बर
 के कम होकर दाखिल दफ्तर हो
 निर्णय आज दिनांक 14/03/24 को
 उच्च न्यायालय हुआ 21/24

सहायक न्यायाधीश
 जयपुर न्यायालय
